Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता 85 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 सितम्बर, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा–देहात इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राधेश्याम गुप्ता सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा को परिवादी से **85 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा–देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आदिवासी छात्रावास में करवाये गये रिपेयरिंग कार्यों के बकाया 17 लाख रुपये के बिलों के भुगतान में 2 प्रतिशत कमीशन के रूप में राधेश्याम गुप्ता सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा द्वारा **1 लाख 2 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा–ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** द्वारा मय टीम पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज मीणा एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व. श्री फूलचंद गुप्ता निवासी मकान नं0 52, प्रेम मंदिर कॉलोनी, बजरिया, सवाईमाधोपुर हाल निवासी 7 डी 15, महावीर नगर विस्तार, कोटा हाल सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा को परिवादी से **85 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।